भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1286

दिनांक 03 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय व्यापार सेवा की तैनाती

1286 : श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यापार संबंधी वार्ताओं को सुगम बनाने और द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख व्यापार भागीदारों हेतु भारतीय व्यापार सेवा (आईटीएस) के अधिकारियों को तैनात करने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) प्रमुख व्यापारिक राष्ट्रों में मौजूदा अधिकारियों की विशिष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का ब्यौरा क्या है और उनके वहां बने रहने से व्यापार और निवेश में किस प्रकार सहायता मिलती है;

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि भारतीय व्यापार सेवा के अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रभावी रूप से देश के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और सुजज्जित हों, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने भारत के प्रमुख आर्थिक साझेदारों के साथ व्यापार बढ़ाने में भिन्न पृष्ठभूमि से आए अधिकारियों की तैनाती के प्रभाव पर कोई आकलन या अध्ययन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) देशों के साथ व्यापार घाटे और अधिशेष पर समाधान करने की आईटीएस अधिकारियों की सक्षमता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): भारतीय व्यापार सेवा (आईटीएस) अधिकारी द्विपक्षीय, बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं अर्थात डब्ल्यूटीओ व्यापार वार्ताओं और विविध एफटीए वार्ताओं में तैनात किए जाते हैं।

(ख): वर्तमान में, भारतीय व्यापार सेवा अधिकारी उनके अधिकार क्षेत्र में व्यापार से संबंधित मामलों पर कार्य करने के लिए वाणिज्य विभाग के तहत क्षेत्रीय प्रभागों में तैनात हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय व्यापार सेवा अधिकारी विदेश व्यापार से संबंधित मामलों का निम्नानुसार निपटान करते हैं:

i. वर्ष 2010 में यथासंशोधित विदेश व्यापार विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1992 का कार्यान्वयन।
ii. समय–समय पर विदेश व्यापार नीति का संरुपण और कार्यान्वयन करना।
iii. विविध निर्यात संवर्धन उपायों और निर्यात संवर्धन स्कीमों का प्रबंधन करना।
iv. निर्यातकों और आयातकों की गुणवत्ता शिकायतों और अन्य व्यापार विवादों का निपटान करना।
v. डब्ल्यूटीओ समझौतों, वार्ताओं, मूल वार्ताओं के नियम और डब्ल्यूटीओ व्यापार विवादों से संबंधित विविध मामलों पर कार्य करना।

vi. व्यापार उपचार महानिदेशालय के अंतर्गत व्यापार उपचार और व्यापार रक्षा तंत्र से संबंधित कार्य करना।

(ग) से (ङ): भारतीय व्यापार सेवा अधिकारियों को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) में 9 माह की अवधि का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय व्यापार सेवा अधिकारियों को डब्ल्यूटीओं के विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत भी व्यापार वार्ताओं का प्रबंधन, डब्ल्यूटीओ समझौतों का कार्यान्वयन और डब्ल्यूटीओ व्यापार विवादों के निपटान हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। साथ ही, भारतीय व्यापार अधिकारियों को विविध प्रशिक्षण संस्थान जैसे कि व्यापार और निवेश कानून केन्द्र (सीटीआइएल) और विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केन्द्र (सीडब्ल्यूटीओएस) आदि में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। वाणिज्य विभाग और डीजीएफटी समय–समय पर विविध क्षेत्रीय प्रभागों की आवश्यकताओं का आकलन करते हैं और तदनुसार, व्यापार साझेदारों से संबंधित कार्य के निपटान हेतु क्षेत्रीय प्रभागों में अधिकारियों को नियुक्त अथवा तैनात करते हैं।

*****